226

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5– 4/2012/1/8 भोपाल दिनांक 24/09/2012

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही।

न्यायालयीन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु निम्नानुसार समेकित निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

(क) नीतिगत एवं महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में सामान्यतया राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ख) न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी उसी विभाग का होना चाहिए जिस प्रशासकीय विभाग का मामला है।

(ग) प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे मामले का पूर्ण अध्ययन करके ही संबंधित अभिलेख एवं तथ्यों के साथ विधि अधिकारी से सम्पर्क करें।

(घ) सेवा संबंधी मामलों में प्रभारी अधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता कर्मचारी को साथ में न ले जाए और शासन के हितों का समर्थन प्रभावी ढंग से हो। इसलिए सम्पूर्ण तथ्य विधि अधिकारी के सामने रखे तथा प्रभारी अधिकारी के

निरन्तर 2

आचरण से यह प्रकट नहीं होना चाहिए कि वह शासन की ओर से नहीं बल्कि याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी हेतु गए हैं।

(च) न्यायालयीन प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करने हेतु कई विभागों द्वारा पूर्व में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर, तीनों स्थानों के लिए यदि नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो अब तत्काल की जाए।

(छ) नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे संबंधित महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों के साथ ही अपने विभाग और प्रभारी अधिकारियों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग करते रहें।

(ज) सभी प्रशासकीय विभाग अपने नोडल अधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रत्येक माह प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय एवं भोपाल स्थित प्रशासकीय विभागों की जो वीडियो कान्फ्रेन्सिंग आयोजित की जाती है, उसके पूर्व ही नोडल अधिकारी महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क करें तथा नोडल अधिकारी भी वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में उपस्थित रहें।

2. उपर्युक्त निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों/ कार्यालयों एवं अन्य संबंधितों को अवगत कराया जाए। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों के पालन के संबंध में निरन्तर समीक्षा की जाए और जहाँ निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो या कोई लापरवाही बरती जा रही हो तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

27/09/2018

(शिवानन्द दुबे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ 5– 4/2012/1/8 भोपाल,दिनांक 24/07/2012

प्रतिलिपि:–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / इन्दौर
3 सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
5 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
7 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
10. मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र. भोपाल
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
13.. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
15. सचिव मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग